To,

The Registrar(General),
National Green Tribunal
Principal bench
New Delhi

Ref. No: 744/G/OA-595/Sarita Singh/2023 Date: 30-9-23.

Subject :**Report in compliance of order dated 11.07.2023 passed by NGT on OA No 595/2022 titled by Sarita Singh Versus State of U.P. & Ors.**

Sir,

In the above noted case Hon'ble Tribunal was pleased to pass the following direction dt.11.07.2023-

" 5. After hearing the representative of the Collector, DFO and the learned Counsel for the parties, we are of the view that District Authorities have to exercise on the following points:-

i. Identification and demarcation of the lake area
ii. Removal of encroachment in accordance with law
iii. Protection of the land

6. Further action taken report be taken by the joint Committee consisting:

i. Collector, Meerut
ii. DFO, Meerut
iii. One representative of Wetland Authority, Hastinapur
iv. One representative of State PCB

7. State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance."

....

Committee was constituted in compliance of the order as follows-

1. District Magistrate, Meerut.
2. Divisional Forest Officer/Member Secretary, District Wetland Authority, Meerut.
3. Regional Officer, UPPCB, Meerut.

Meeting of the constituted committee was convened on dt.02.09.2023 and minutes were issued for compliance of the aforesaid order. Minutes of meeting is annexed as **Annexure- A.**

The committee agreed upon the report dt.29.09.2023 produced by Sub-divisional Magistrate, Mawana, Meerut which is annexed as **Annexure- B.**

The report is attached herewith for kind perusal.

With regards,

Enclosure: as above

Your's faithfully,

BPYadav

(Bhuvan Prakash Yadav)
Regional Officer,
UPPCB, Meerut

Annexure-A

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0संख्या 595/2022 में पारित आदेश दिनांक–11.07.2023 के अनुपालन हेतु आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0संख्या 595/2022 सरिता सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक–11.07.2023 के अनुपालन हेतु दिनांक–02.09.2023 को अपर जिलाधिकारी(प्रशासन), मेरठ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उपजिलाधिकारी, मवाना, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग सह सक्षम प्राधिकारी, वेटलैण्ड अथारिटी, हस्तिनापुर, मेरठ व क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ द्वारा प्रतिभाग किया गया।

मा0अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अंश निम्नवत हैं–

"......... 5. After hearing the representative of the Collector, DFO and the learned Counsel for the parties, we are of the view that District Authorities have to exercise on the following points:-

i. Identification and demarcation of the lake area
ii. Removal of encroachment in accordance with law
iii. Protection of the land

6. Further action taken report be taken by the joint Committee consisting:

i. Collector, Meerut
ii. DFO, Meerut
iii. One representative of Wetland Authority, Hastinapur
iv. One representative of State PCB .

7. State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

8. Action taken report be submitted within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF...."

समीक्षा के दौरान उपजिलाधिकारी, मवाना द्वारा आदेश के कम में संदर्भित स्थल की वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। उपजिलाधिकारी एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग को उपरोक्त आदेश के बिन्दु संख्या–5(i),(ii),(iii) के अनुसार ससमय आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया तथा कार्यवाही आख्या जिलाधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को मा0अधिकरण में प्रस्तुत करने एवं यथाआवश्यक अनुसरण हेतु प्रेषित की जाये।

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन),
मेरठ

पत्रांक–582/G/OA-595/सरिता सिंह/2023. दिनांक 6-9-23.

प्रतिलिपि–

1. जिलाधिकारी महोदय, मेरठ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपजिलाधिकारी, मवाना, मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

क्षेत्रीय अधिकारी,

Annexure-B

Recd. 30-9-23

कार्यालय उप जिलाधिकारी मवाना।

संख्या 1074 /एस0टी0–मवाना/2023 दिनांक: 29 सितम्बर 2023

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0–595/2022 सरिता सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 11.07.2023 के अनुपालन कराने के संबंध में।

जिलाधिकारी
मेरठ।

उपर्युक्त विषयक प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मेरठ महोदय के पत्र सं0–362 दिनांक 28.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 नं0–595/2022 सरिता सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेशों के अनुपालन कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में तहसीलदार मवाना, नायब तहसीलदार परीक्षितगढ, क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षितगढ से संयुक्त बिन्दुवार जॉच कराई। संयुक्त कमेटी द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार जॉच आख्या निम्नवत् है:–

बिन्दु सं0–05 (1)– में झील की पहचान एवं सीमांकन के संबंध में सादर अवगत कराना है कि ग्राम नंगला गौसाई परगना किठौर तहसील मवाना जिला मेरठ में झील के खसरा स० 538मि0 रकबा 0.4050है० ,569मि० रकबा 39.1150है०, 571/1/1मि० रकबा 1.9600 है०, 572मि० रकबा 14.8840 है०, 600मि० रकबा 14.0620है०, 602/1 रकबा 0.6320है०, 607/2/1 रकबा 0.0250है०, 624/1मि० रकबा 0.1770है० व 622मि० रकबा 0.2280है० का पूर्व में ही पहचान एवं सीमांकन किया जा चुका है तथा आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण दिल्ली को प्रेषित की जा चुकी है। (छायाप्रति संलग्न है।)

बिन्दु सं0–05 (2)–में नियमानुसार अवैध कब्जा हटाने के संबंध में निर्देशित किया गया है। जिसके संबंध में ग्राम नंगला गौसाई में स्थित झील के खसरा नम्बरान पर पूर्व में दिनांक 17.06.2023 को सीमांकन करते समय पाया गया है कि झील पर स्थाई एवं अस्थायी प्रकार का अतिकमण बंगाली समुदाय के द्वारा किया गया था। तत्समय ही स्थायी अतिकमणकर्ताओ के विरूद्ध राजस्व संहिता 2006 की धारा–67 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय तहसीलदार मवाना के यहॉ बेदखली हेतु आख्या प्रेषित कर दी गई थी। वर्तमान में वाद मा0 न्यायालय के यहॉ विचाराधीन है वाद निस्तारण के उपरान्त उक्त के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है तथा इसके पुनर्वास हेतु शासन स्तर पर पत्राचार किया जा रहा है। (जिसकी छायाप्रति संलग्न है।)

अस्थायी अवैध कब्जे के संबंध में अवगत कराना है कि बंगाली समुदाय के कुछ परिवारों द्वारा झील के उक्त खसरा नम्बरान पर कृषि के किये गये अवैध कब्जे को हटवा दिया गया था। जो मौके पर खाली पडे है। साक्ष्य स्वरूप फोटोग्राफ संलग्न है तथा शेष भाग में पानी भरा होने के कारण जंगली घास इत्यादि खडी है। कृषि कार्य के रूप में कोई कार्य नही हो रहा है।

बिन्दु सं0–05 (3)–के संबंध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण दिल्ली द्वारा भूमि के संरक्षण हेतु निर्देशित किया गया जिसके संबंध में सादर अवगत कराना है कि उपरोक्त समस्त झील क्षेत्र को संरक्षित रखने के संबंध में संबंधित अधिकारियों एवं स्थानीय जनसमुदाय के मध्य समन्वय स्थापित कर झील क्षेत्र को झील के रूप में लाने व जलमग्न क्षेत्र की नियमित साफ–सफाई की कार्ययोजना हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है। (कार्यवृत्त की प्रति संलग्न है।) अतः उपरोक्तानुसार तहसीलदार मवाना की जॉच आख्या मूलरूप में संलग्न कर महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुार।

उप जिलाधिकारी
मवाना।

प्रतिलिपिः

1– प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मेरठ महोदय को उनके पत्र सं0–362 दिनांक 28.07.2023 के कम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2– क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी
मवाना।

महोदय,

कृपया संलग्न पत्र कार्यालय उप जिलाधिकारी मवाना महोदय के पत्र संख्या 1468 / एस0टी0 मवाना / 2023 दिनांक 21.08.2023 के सम्बन्ध में तहसीलदार मवाना महोदया द्वारा राजस्व टीम गठित कर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण दिल्ली में दायर ओ0ए0न0–595 / 2022 सरिता सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेशों का अनुपालन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण दिल्ली द्वारा संलग्न पत्र में वार्णित बिन्दुवार आख्या चाही गयी है। जो निम्नवत् है:–

बिन्दु संख्या 5(i) में झील क्षेत्र की पहचान एवं सीमांकन के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि ग्राम नंगला गौसाई में झील के खसरा नम्बरान 538मि0 / 0.4050 है0, 569मि0 / 39.1150 है0, 571 / 1 / 1 मि0 / 1.9600 है0, 572मि0 / 14.8840 है0, 600मि0 / 14.0620 है0, 602 / 1 / 0.6320 है0, 607 / 2 / 1 / 0.0250 है0, 624 / 1 मि0 / 0.1770 है0 व 622मि0 / 0.2280 है0 का पूर्व में ही पहचान एवं सीमांकन किया जा चुका है तथा आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण दिल्ली को प्रेषित की गई है। छायाप्रति संलग्न है। (Annexure - 1)

बिन्दु संख्या 5(ii) में नियमानुसार अवैध कब्जा हटावाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है। जिसके सम्बन्ध में ग्राम नंगला गौसाई में स्थित झील के खसरा नम्बरान पर पूर्व में दिनांक 17.06.2023 को सीमांकन करते समय पाया गया है कि झील पर स्थाई एवं अस्थाई प्रकार का अधिकमण बंगाली समुदाय के द्वारा किया गया था। तत्समय ही स्थाई अतिकमण कर्त्ताओं के विरूद्व राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय तहसीलदार मवाना के यहां बेदखली हेतु आख्या प्रेषित कर दी गई थी। वर्तमान में वाद मा0 न्यायालय के यहां विचाराधीन है वाद निस्तारण के उपरान्त उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है तथा इनके पुनर्वास हेतु शासन स्तर पर पत्राचार किया जा रहा है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। (Annexure - 2).

अस्थीय अवैध कब्जे के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि बंगाली समुदाय के कुछ परिवारों के द्वारा झील के उक्त खसरा नम्बरान पर कृषि के द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटवा दिया गया था। जो मोके पर आज भी खाली है। साक्ष्य स्वरूप फोटोग्राफ संलग्न है, तथा शेष भाग में पानी भरा होने के कारण जंगली घास आदि खडी है। कृषि कार्य के स्वरूप में कोई कार्य नही हो रहा है। (Annexure -3)

बिन्दु संख्या 5(iii) के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण दिल्ली द्वारा भूमि के संरक्षण हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि उपरोक्त समस्त झील क्षेत्र को संरक्षित रखने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों एवं स्थानीय जन समुदाय के मध्य समन्वय स्थापित कर झील क्षेत्र को झील के रूप में लाने व जल मंग्न क्षेत्र की नियमित साफ–सफाई की कार्य योजना हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है। कार्यवृत्त की प्रति संलग्न है। (Annexure-4)

आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

29/9/2023
लेखपाल

शिवम कुमार
(लेखपाल)
29/9/2023

प्रेषित
29/9/23

सुरेश शर्मा
राजस्व निरीक्षक
क्षेत्र

क्षेत्रीय वन अधिकारी
परीक्षितगढ़ (मेरठ)

कुमार
लेखपाल
क्षेत्र

29/9/23

तहसीलदार
मवाना (मेरठ)

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

संख्या 3329/ओ०ए०डी०-कैम्प/2023 दिनांक 08 जुलाई 2023

विषयः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-595/2022 सरिता सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.04.2023 के अनुपालन के संबंध में।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण
नई दिल्ली।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-595/2022 सरिता सिंह बनाम उ०प्र० राज्य में पारित आदेश दिनांक 05.04.2023 का अनुपालन कर नियत प्रारूप पर आख्या चाही गयी है।

उक्त प्रकरण के संबंध में उप जिलाधिकारी मवाना के पत्र सं०-609/एस० टी०-मवाना/2023 दिनांक 20.06.2023 द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी। उक्त आख्या संलग्नको सहित निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर PDF/E-MAIL ID के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। अतः उपरोक्तानुसार आख्या PDF/E-MAIL ID के माध्यम से judicial-ngt@gov.in पर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

8/7/2023

(दीपक मीणा)
जिला मजिस्ट्रेट
मेरठ।

Annexure-I(a)

कार्यालय उप जिलाधिकारी मवाना (मेरठ)

संख्या- 609 /एस0टी0-मवाना/2023-24 दिनांक 20-06 2023

जिलाधिकारी,
मेरठ।

842

RO.PCB

जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट
मेरठ। 21/6/2023

महोदय,

कृपया आपके पृष्ठांकन आदेश संख्या-1479 दिनांक 2[illegible]-04-2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत माननीय हरित अधिकरण दिल्ली Item no 4 (Court no. 1) Original Application no 595/2022 Sarita Singh Versus State of UP & ors. [illegible] राष्ट्रीय हरित अधिकरण दिल्ली द्वारा पूर्व सुनवाई तिथि 05-04-2023 को ग्राम [illegible] परगना किठौर, तहसील मवाना, जिला मेरठ में झील भूमि पर अतिक्रमणकर्ताओं के सम्बन्ध में आख्या चाही गयी है।

उक्त सम्बन्ध में तहसीलदार मवाना से जांच करायी गयी, जिसमें उल्लेखित किया गया है कि, "माननीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0न0-595/2022 में पारित आदेश दिनांक 19-09-2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में कार्यालय उप जिलाधिकारी मवाना संख्या-1215/एस0टी0-मवाना/2022 दिनांक 27 दिसम्बर, 2022 के द्वारा अवैध कब्जाधारकों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी, जो साथ में संलग्न है। तदनुसार माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्न) कर अवैध कब्जा धारकों की सूचना तैयार की गयी है जो साथ में संलग्न है।" अतः उपरोक्तानुसार तहसीलदार मवाना की जाँच आख्या मूल रूप से संलग्न कर महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक :-उपरोक्तानुसार।

उप जिलाधिकारी
मवाना।

Ann. 1 (B)

महोदय ,

संलग्न - पत्र मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण दिल्ली Item no 4 (Court no 2) Original Application no 595/2022 Sarita singh versus State of U P & ors . जिसके द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण दिल्ली द्वारा पूर्व सुनवाई तिथि 05/04/2023 को ग्राम नंगला गौसाई परगना किठौर तहसील मवाना जिला मेरठ मे झील भूमि पर अतिक्रमणकर्ताओ के सम्बंध मे निर्धारित प्रारुप (संलग्न) पर जांच आख्या चाही गयी है

600/RI/P उपरोक्त के सम्बन्ध मे सादर अवगत कराना है कि मा० राष्टीय हरित अधिकरण मे योजित ओ०ए०न० - 595/2022 मे पारित आदेश दिनांक 19-09-2022 के अनुपालन के सम्बन्ध मे कार्यालय उपजिलाधिकारी मवाना संख्या 1215/एस०टी-मवाना/2022 दिनांक 27 दिसम्बर 2022 के द्वारा अवैध कब्जाधारको के विरुध की गयी कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी जो साथ मे सलंग्न है तदोपरांत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप (सलंग्न) कर अवैध कब्जा धारको की सूचना चाही गयी थी जो साथ मे सलंग्न है

आख्या सेवा मे सादर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतू प्रेषित है / Shivamkumar 17/06/2023

शिवम कुमार
(लेखपाल)

प्रेषित
17/6/23
सुरेश शर्मा
राजस्व निरीक्षक
क्षेत्र

महोदय,
कृ० उपरोक्तानुसार
आख्या आपको प्रेषित है।
17/06/2023
नायब तहसीलदार
परीक्षितगढ़

20/6/23
तहसीलदार
मवाना (मेरठ)

Amn. 1(C).

महोदय

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण दिल्ली द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्न) पर चाही गयी सूचना से सम्बन्धित खसरा नम्बरानो पर मकान (कच्चा/ पक्का) व कृषि द्वाराअवैध व शेष भूमि का विवरण निम्न प्रकार

क्र स०	खसरा स०	क्षेत्रफल (है० मे)	द्वारा मकान (कच्चा/ पक्का)	द्वारा कृषि	शेष क्षे० (है० मे)	विशेष विवरण
1	538मि०	0.4050 है०	-------	------	0.4050 है०	मौके पर वन है
2	569मि०	39.1150 है०	1.4159 है०	13.2368 है०	24.4623 है०	-----
3	571/1/1मि०	1.9600 है०	--------	----------	1.9600 है०	------
4	572मि०	14.8840 है०	0.5341 है०	4.4219 है०	9.9280 है०	------
5	600मि०	14.0620 है०	----------	4.7400 है०	9.3220 है०	-------
6	602/1	0.6320 है०	------------	----------	0.6320 है०	-------
7	607/2/1	0.0250 है०	----------	-----------	0.0250 है०	--------
8	624/1मि०	0.1770 है०	----------	--------	0.1770 है०	--------
9	622मि०	0.2280 है०	-----------	--------	0.2280 है०	---------
योग	09	71.4880 है०	1.9500 है०	22.3987 है०	47.1393 है०	—

Shivam Kumar
17/06/2023
शिवम कुमार

प्रेषित
S.A.
17/6/23

सुरेश शर्मा
राजस्व निरीक्षक
क्षेत्र

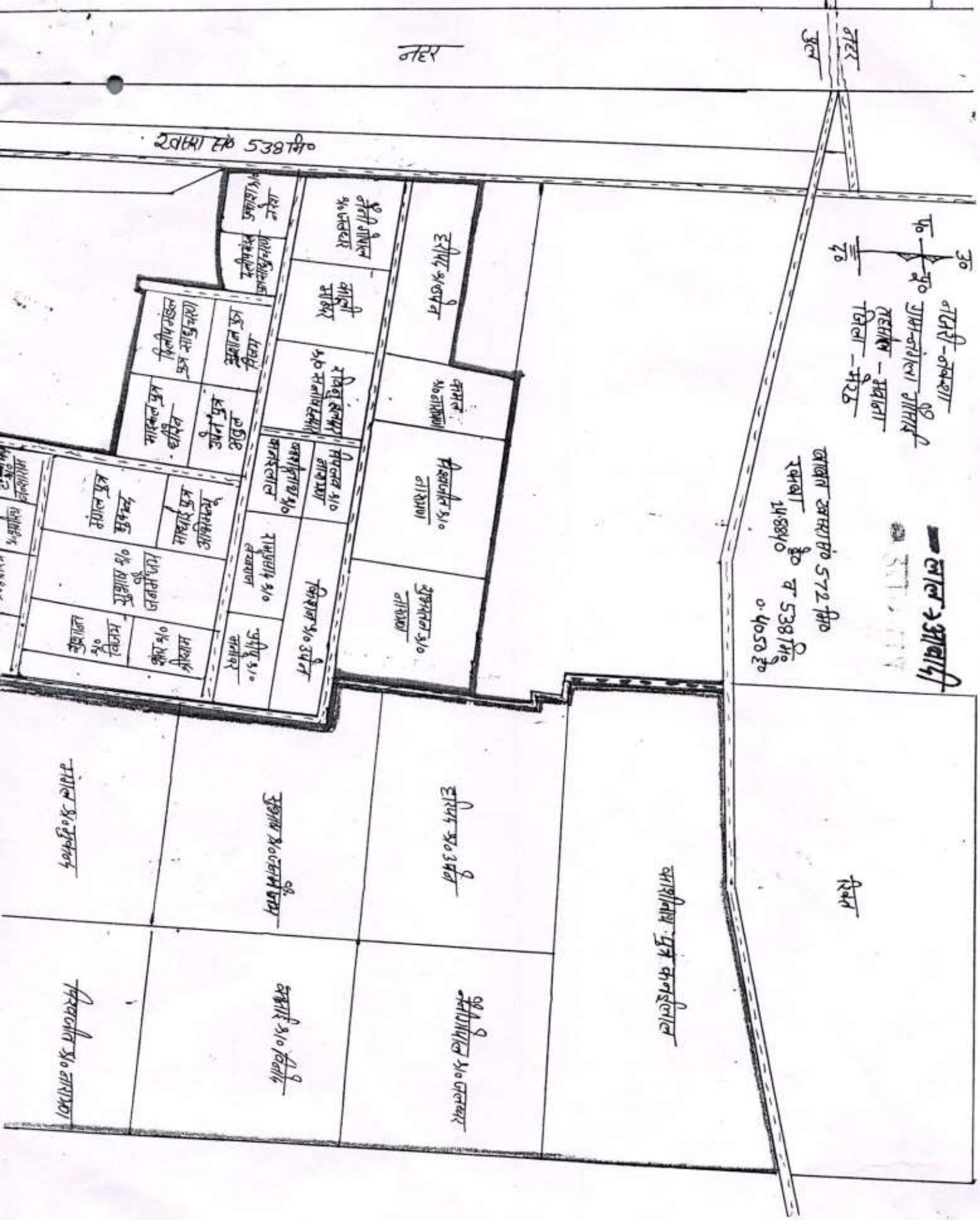
नजरी-नक्शा
ग्राम-जंगला गोसाई
तहसील - मवाना
जिला - मेरठ
उ०
पू०
प०
द०
लाल → आबादी
खाता खसरा सं० 572 मि०
रकबा 1.4884 है० व 538 मि० 0.4052 है०
नहर
पुल
खसरा सं० 538 मि०
रिक्त
काशीनाथ पुत्र कनईलाल
हरिपद पु० उपेन
नैनीगोपाल पु० जलधर
सुभाष पु० जन्मेजय
कन्हाई पु० विनोद
मंगल पु० मुकुन्द
विश्वजीत पु० नारायण
हरीपद पु० उपेन
कमल पु० नारायण
शुभरतन पु० नारायण
नैनी गोपाल पु० जलधर
काली मंदिर
किशन पु० उपेन
रामप्रसाद पु० लेखराज
प्रदीप पु० मनोहर

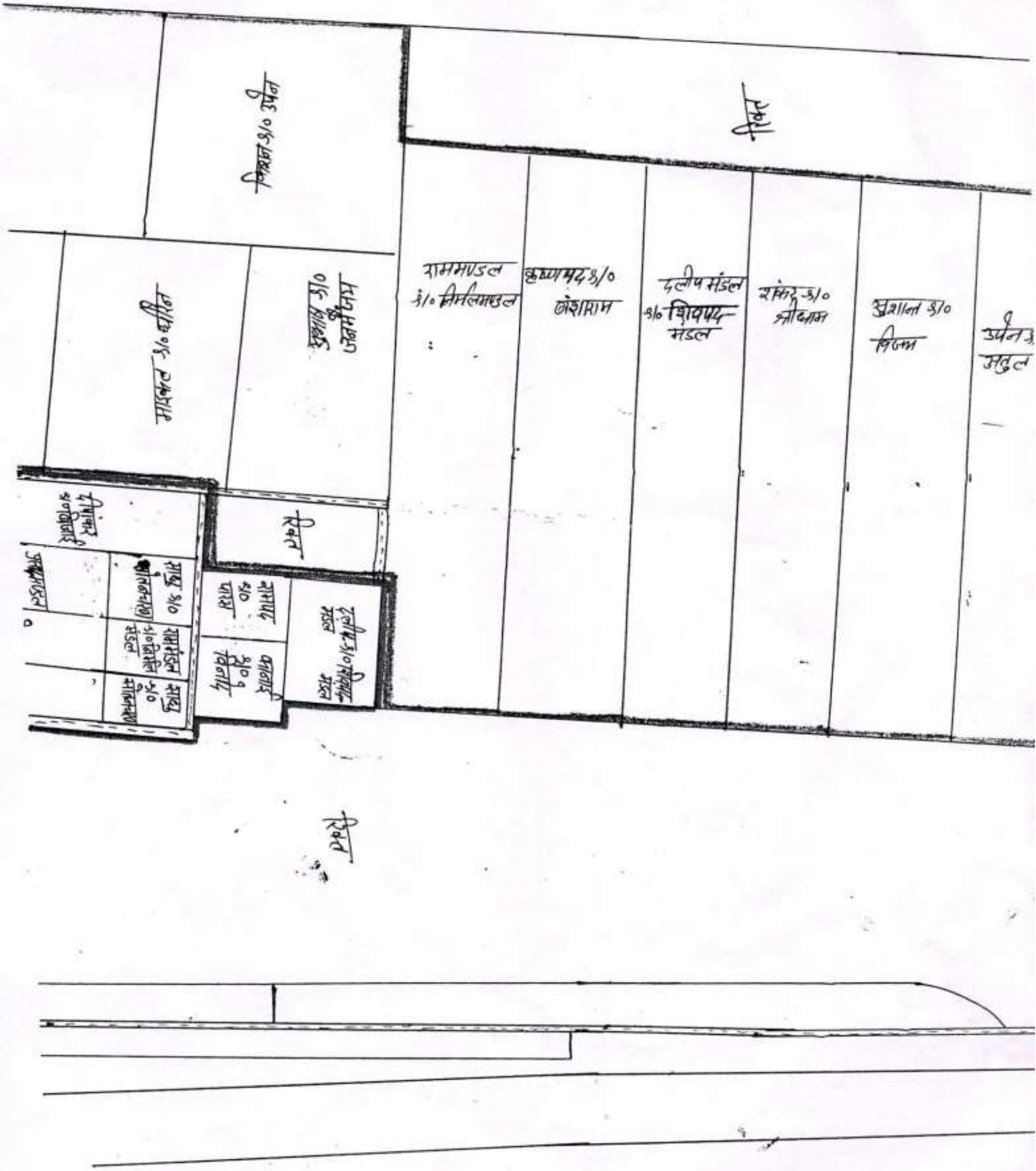
रिक्त
दलीप मंडल S/o शिवपद मंडल
शंकर S/o श्रीदाम
रिक्त
रिक्त

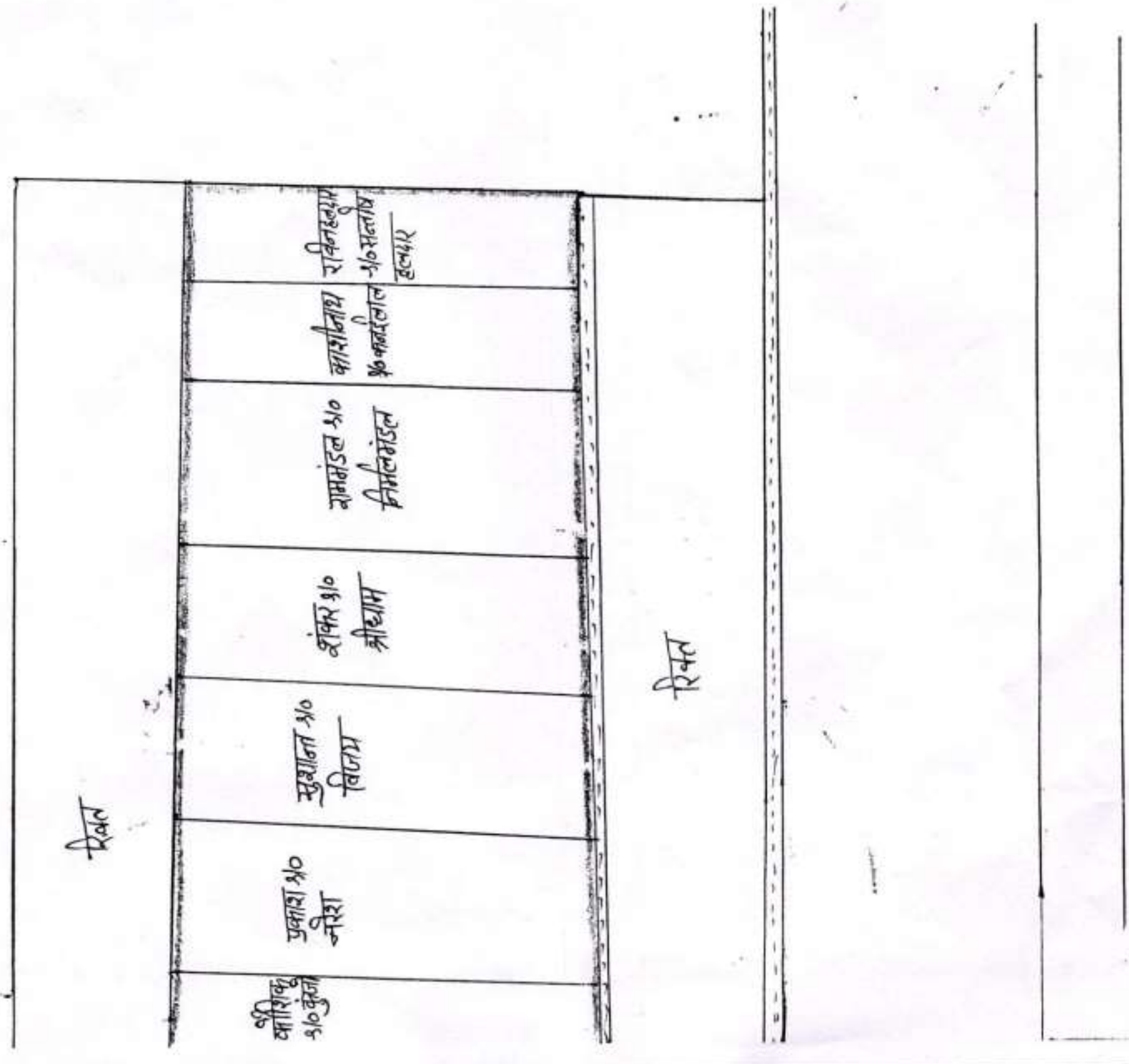
रिक्त
कौशिक S/o कुंजो
प्रकाश S/o नरेश
सुशान्त S/o विजय
शंकर S/o श्रीधाम
राममंडल S/o निर्मलमंडल
काशीनाथ S/o कनईलाल
रविनहलदार S/o सन्तोष हलदार
रिक्त

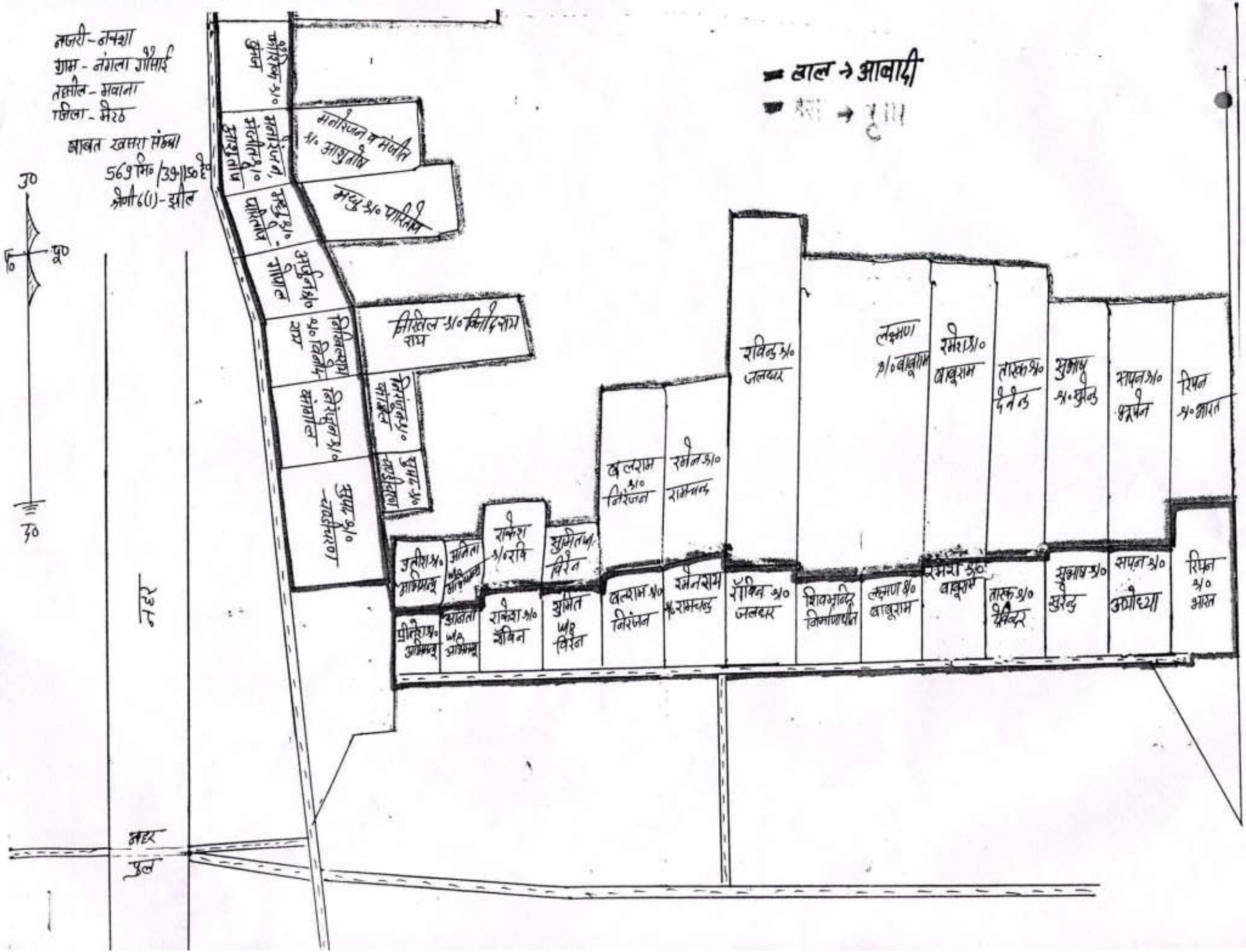
नजरी - नक्शा
ग्राम - नंगला गोसाई
तहसील - मवाना
जिला - मेरठ
बाबत खसरा संख्या
569 मि० /39/150 हे०
श्रेणी 6(1) - झील
लाल → आबादी
नहर
पुल

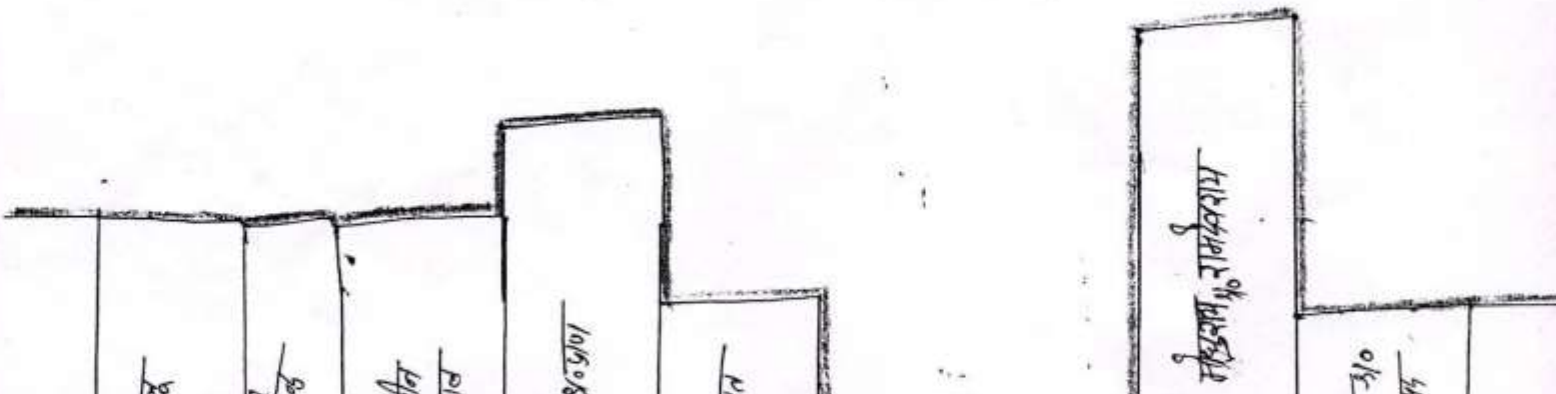
श्रीमती उमा w/o लालू
हरिपद s/o प्राण
विधान s/o भरत
रघुनाथ s/o सुसेन
रिक्त
गोविन्दा s/o तारापद

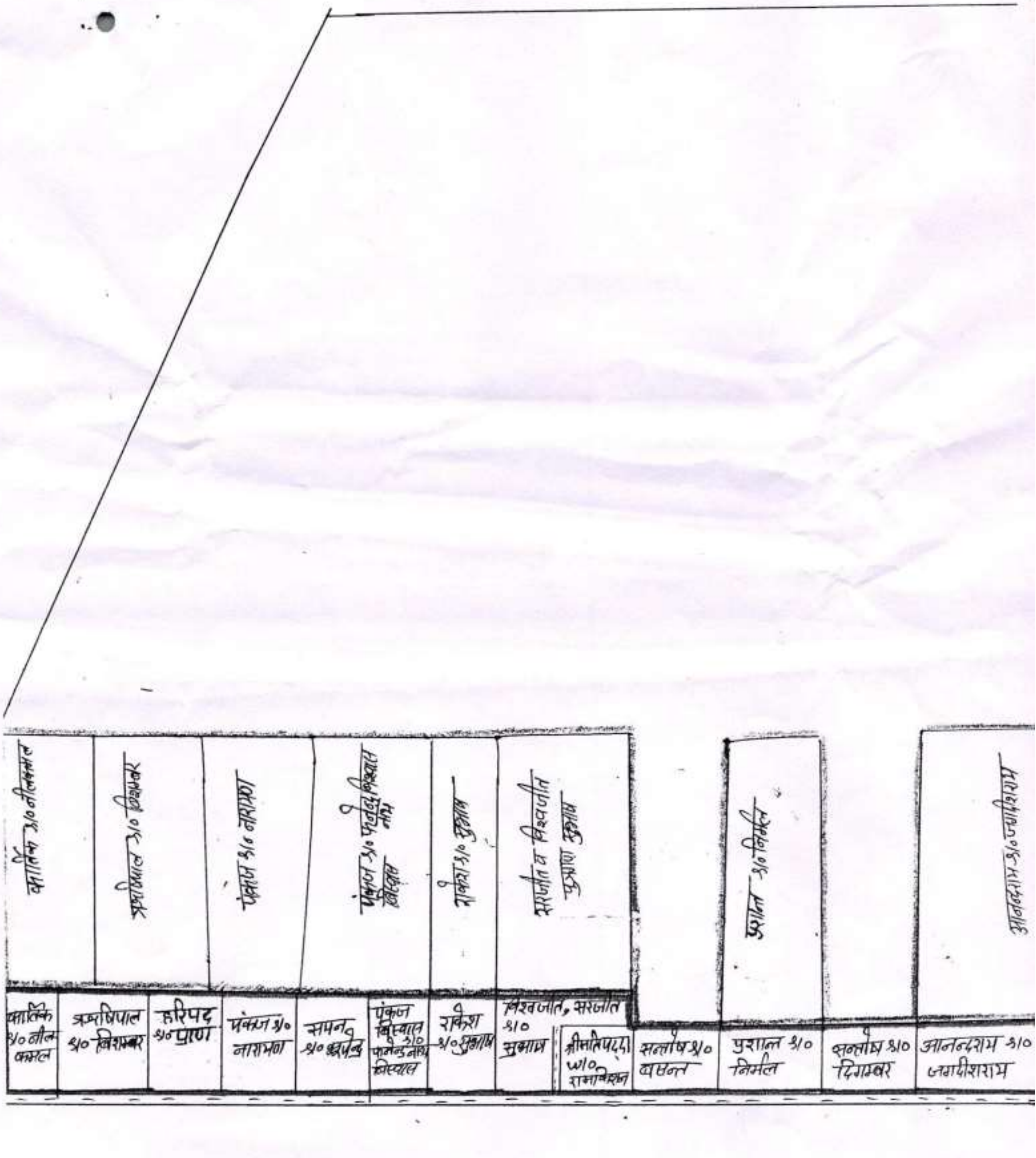
कार्तिक S/o नील कमल
ऋषिपाल S/o विशम्भर
हरिपद S/o प्राण
पंकज S/o नारायण
सपन S/o
पंकज विश्वास S/o फणीन्द्रनाथ विश्वास
राकेश S/o सुभाष
विश्वजीत, सरजीत S/o सुभाष
गीतिपदा W/o रामविशन
सन्तोष S/o बसन्त
प्रशान्त S/o निर्मल
सन्तोष S/o दिगम्बर
आनन्दराम S/o जगदीशराम

नज़री-नक्शा
ग्राम - नंगला गोसाई
तहसील - मवाना
जिला - मेरठ
बाबत खसरा सं० 571/1/1 मि० रकबा 1.9600 हे०

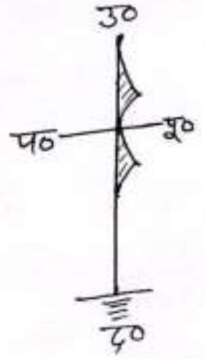

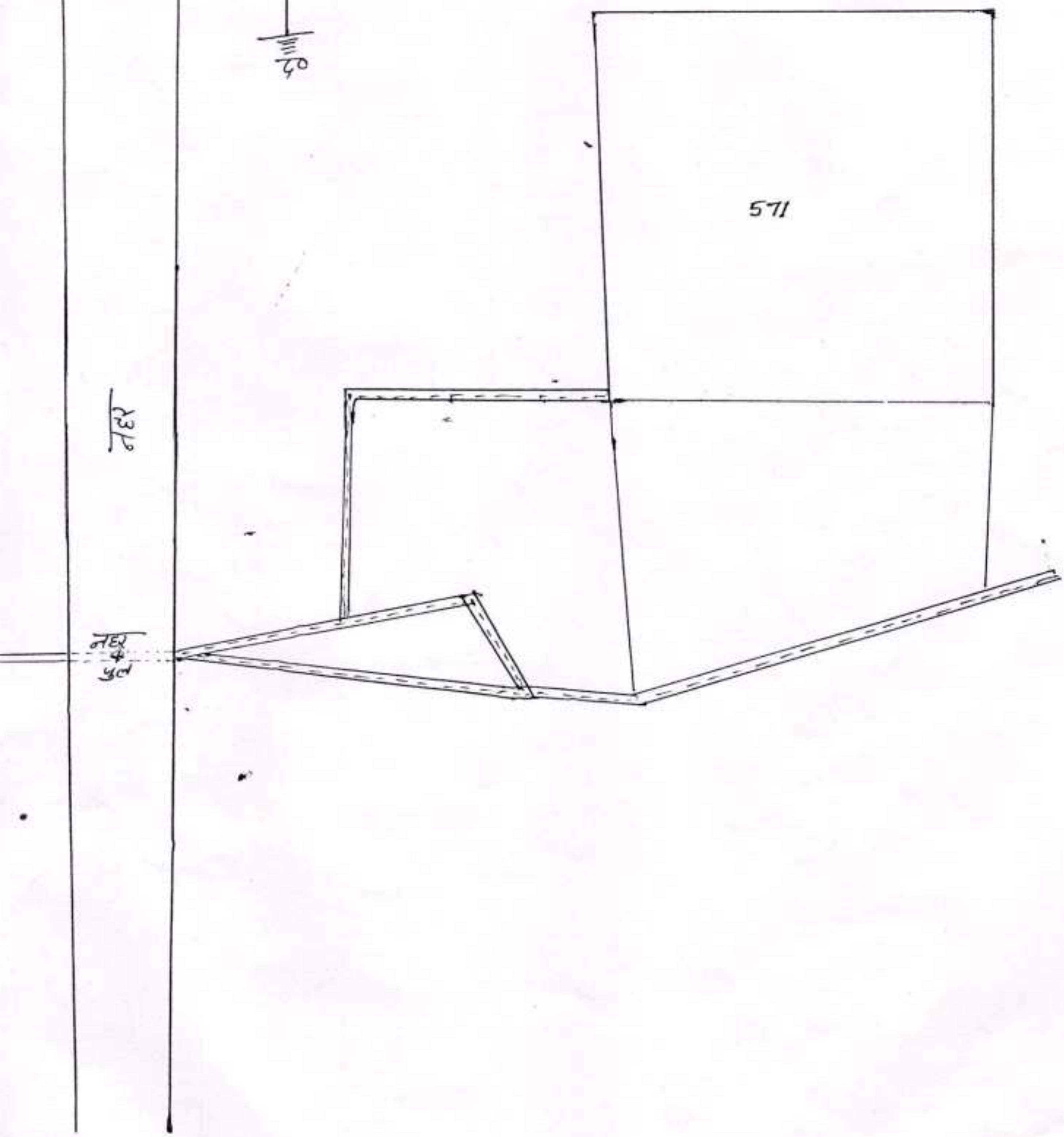

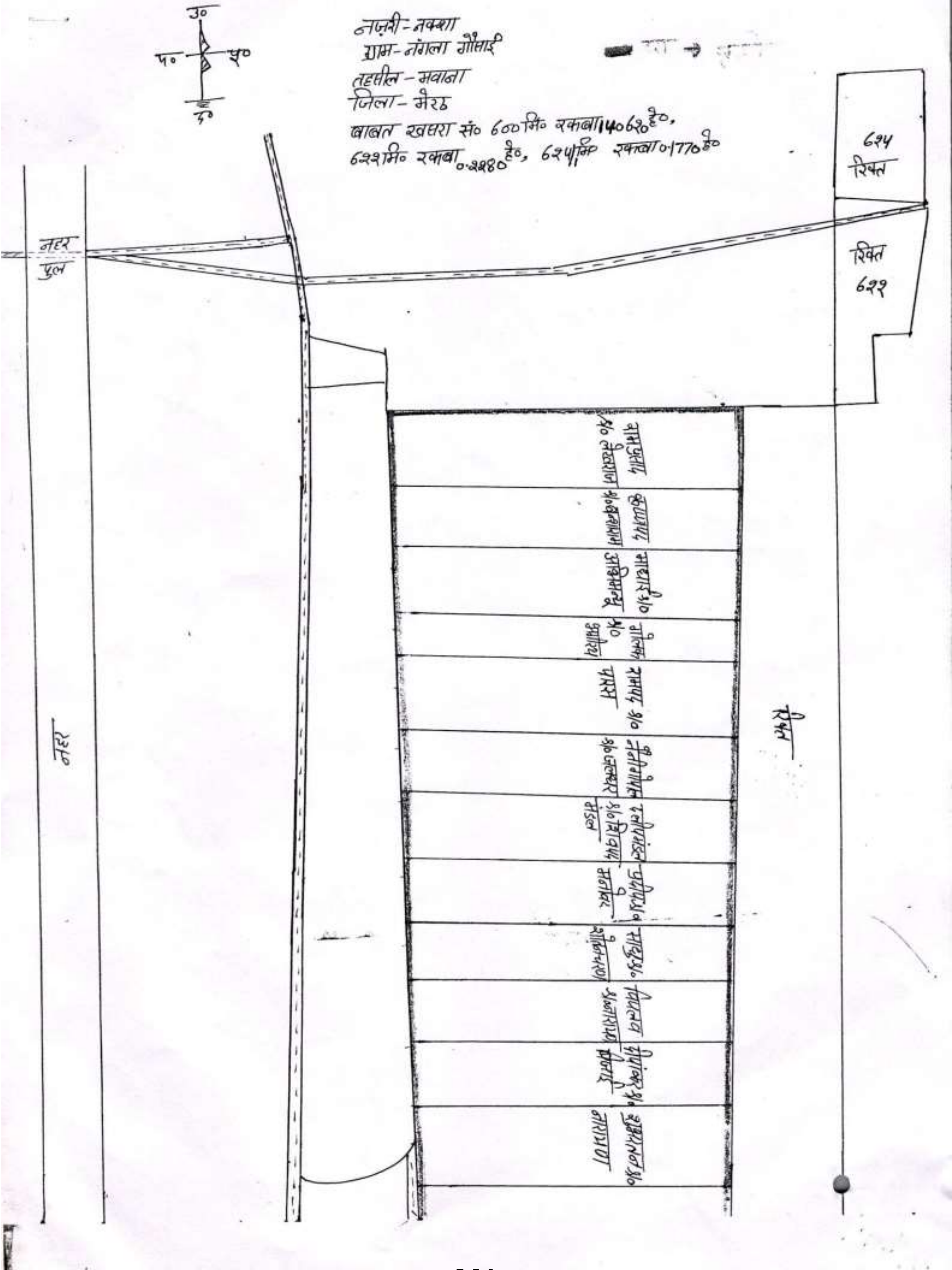

उ०
प०
पू०
द०
नज़री - नक्शा
ग्राम - नंगला गोंसाई
तहसील - मवाना
जिला - मेरठ
बाबत खसरा सं० 600 मि० रकबा 1.4062 है०,
622 मि० रकबा 0.2280 है०, 624 मि० रकबा 0.1770 है०
624
रिक्त
रिक्त
622
नहर
पुल
नहर
रिक्त

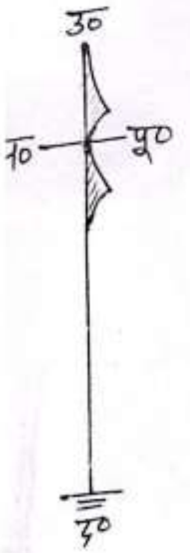

नजरी-नक्शा

ग्राम - नंगला गोसाईं

तहसील - मवाना

जिला - मेरठ

बाबत खसरा सं० 602/1 मि० रकबा 0.6320 हे०

खसरा सं० 607/2/1 मि० रकबा 0.0250 हे०

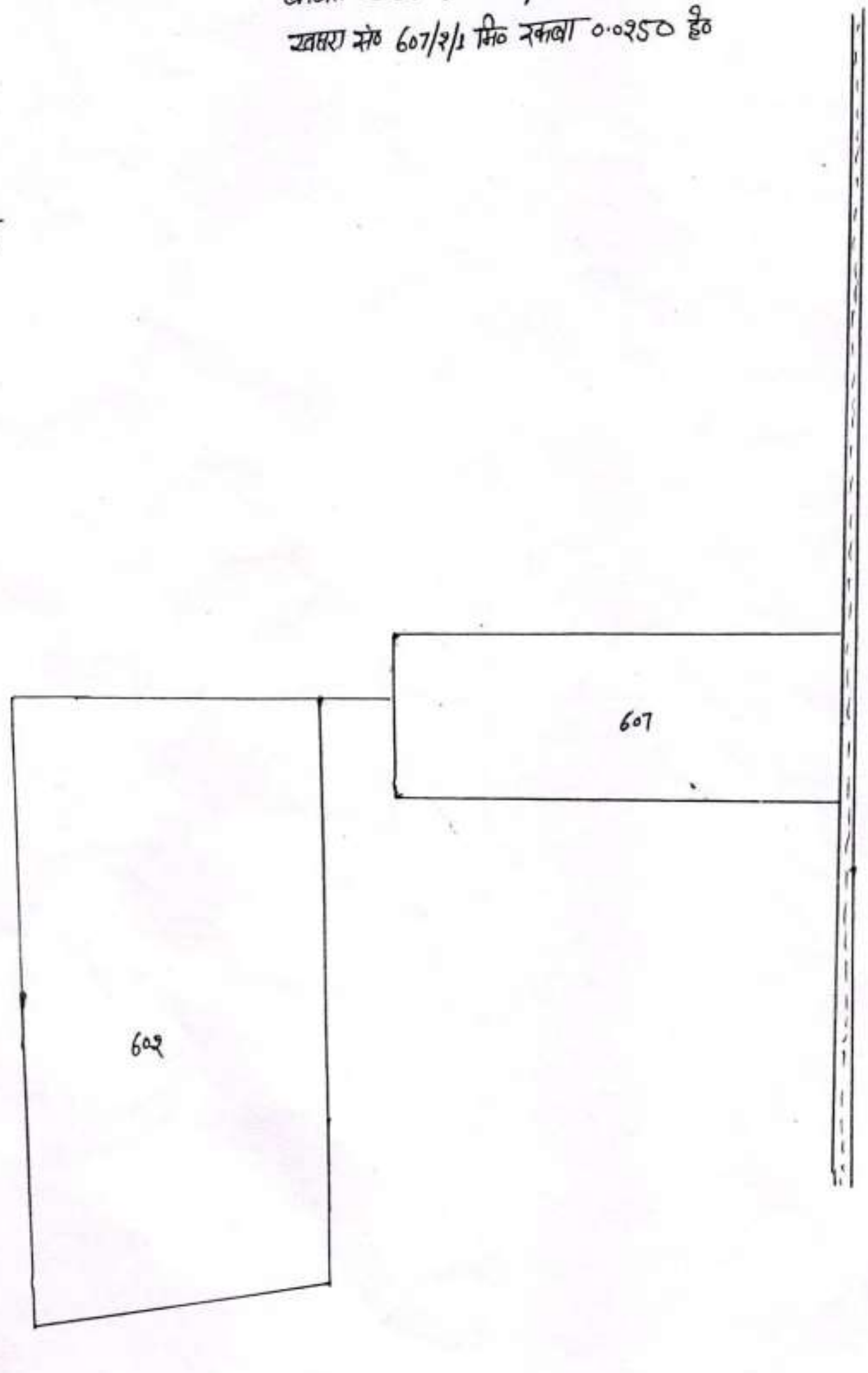

Annexure-2

कार्यालय तहसीलदार मवाना

पत्राक–024/आर0सी0–मवाना/2023 दिनांक– 21.06.2023

उपजिलाधिकारी
मवाना।

कृपया संलग्न पत्र संख्या –1015/G/OA–595/Sarita singh/2022 दिनांक 29/09/2022 के सम्बंध मे मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे योजित ओ०ए०न०–595/2022 मे पारित आदेश दिनांक–19/09/2022 के अनुपालन मे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्रांक–99/आर0सी0/2022 दिनांक–11/11/2022 के क्रम में ग्राम नंगला गौसाई परगना किठौर तहसील मवाना जिला मेरठ जो कि वन अभ्यारण क्षेत्र के अन्तर्गत अभिलेखो के अनुसार झील की भूमि /वन भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध मे मौके की जांच हेतु राजस्व विभाग व वन क्षेत्र अधिकारी की संयुक्त टीम गठित की गयी थी। जिनके द्वारा मौके का स्थलीय/अभिलेखीय निरीक्षण किया गया।

उक्त के अनुपालन में राजस्व टीम, वन विभाग व पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से मौके पर पहुँचकर कार्यवाही की गयी थी, जिसका बंगालियो द्वारा विरोध किया गया। कानून व्यवस्था के दृष्टिगत उक्त की जा रही कार्यवाही को रोक दिया गया।

यह भी अवगत कराना है कि बंगाली बस्ती में निवासरत सभी बंगाली परिवार लगभग 40 वर्षो से ग्राम नंगला गौसाई परगना किठौर तहसील मवाना में कृषि कार्य करके अपना जीवन यापन कर रहे है। इसके अतिरिक्त इनके पास स्थायी निवास/आवास हेतु तहसील मवाना क्षेत्रान्तर्गत कोई अन्यत्र स्थान उपलब्ध नही है। चूंकि उक्त क्षेत्र वन अभ्यरण क्षेत्र के अन्तर्गत है जिस कारण इनको किसी प्रकार कृषि/आवासीय पट्टा आंवटित किया जाना सम्भव नही हैं। वन अभ्यारण क्षेत्र एंव सुरक्षित श्रेणी 15(1) की भूमि होने के कारण बंगाली बस्ती में निवासरत व्यक्तियो के पास कोई वैकल्पिक आवासीय/जीवनयापन साधन हेतु भुमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में बंगाली बस्ती में निवासरत व्यक्तियों को इनके विस्थापन हेतु वैकल्पिक भूमि उपलब्ध हो जाने के उपरान्त ही इन्हे विस्थापित किया जाना उचित होगा।

अतः उक्त सभी निवासरत बंगालियों को यहां से विस्थापित किये जाने से पहले इनके विस्थापन हेतु वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने हेतु सभी निवासरत बंगालियों की सूची सलंग्न कर महोदय की सेवा पूर्व में कार्यालय के पत्रांक संख्या 475/आर0सी0–मवाना/2023 दिनांक–11.01.2023 को भी अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा चुकी है।

सलंग्न– लेखपाल आख्या और सूची मूल रूप मे।

तहसीलदार
मवाना।

Annexure - 3(A)

खसरा सं०
572 मि०
(झील)

Annexure-3(B)

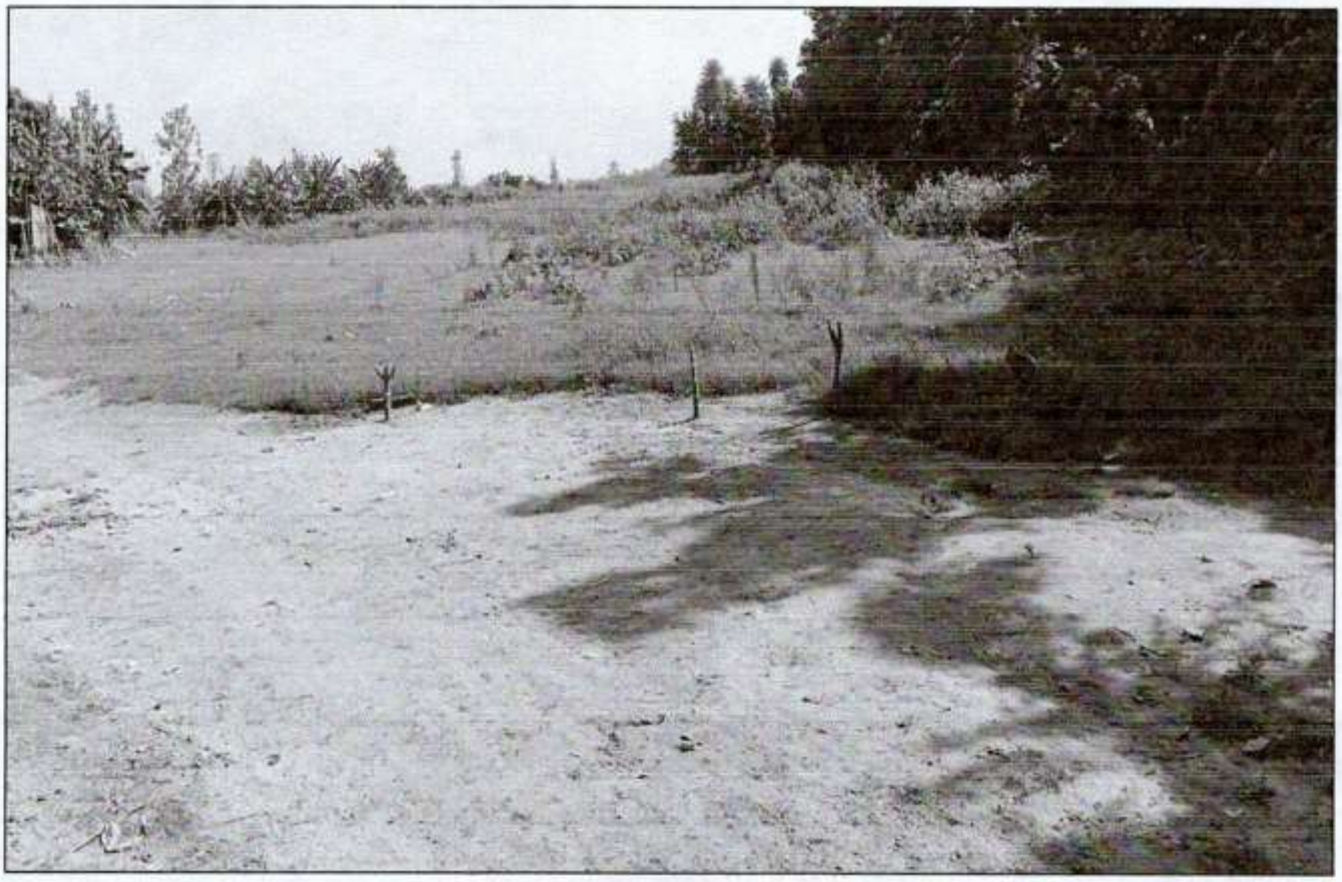

खसरा सं० 572 मि०
झील

Annexure-3 (C)

खसरा सं०
569 मि०
(झील)

(Annexure-4)

—:: कार्यवृत्त::—

महोदय,

आज दिनांक–22.09.2023 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण दिल्ली में दायर ओ0ए0एस0 595/2022 सरिता सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेशों का अनुपालन कराये जाने के संबंध में राजस्व एंव वन विभाग के अधिकारी व स्थायी निवासियों की उपस्थिति में झील की भूमि को संरक्षित करने हेतु एक आवश्यक सभा की गयी जिसमें भूमि के संरक्षण के संबंध में विस्तृत चर्चा की गयी। चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि झील के समतल क्षेत्र की खुदाई कराकर उसके मूल स्वरूप में वापस जाया जाए तथा जलमग्न भूमि को प्रत्येक तीन माह पर साफ–सफाई कराकर जलमग्न भूमि को संरक्षित किया जाए। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि झील क्षेत्र किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण न हाने पाए तथा झील क्षेत्र की खुदाई कर उसे मूल स्वरूप में वापस लाने के लिए जारी प्रस्ताव प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मेरठ को प्रेषित।

शावम कुमार
(लेखपाल)

ग्रामवासी
(i) कंवरसिंह S/o श्री जयसिंह
(ii) नवाबसिंह S/o जनेश्वर
(iii) ... S/o ...
(iv) प्रीतम S/o रवीमचन्द
(v) अशोक S/o डालचन्द

(नायब तहसीलदार)
29/9/23

तहसीलदार
मवाना (मेरठ)
29/9/23

क्षत्रीय वन अधिकारी
परीक्षितगढ़ (मेरठ)

कार्यालय तहसीलदार मवाना।

पत्रांक 1044/आर0सी0–मवाना/2023 दिनांक: 24/08.2023

1– श्री नितेश कुमार सैनी नायब तहसीलदार परीक्षितगढ।
2– श्री सुरेश शर्मा रा0 नि0 परीक्षितगढ।
3– श्री शिवम उपाध्याय क्षेत्रीय लेखपाल।
4– श्री अजय उपाध्याय लेखपाल तहसील मवाना।
5– श्री राजबल लेखपाल तहसील मवाना।

कृपया उप जिलाधिकारी मवाना महोदय के पत्र संख्या–1468/एस0 टी0–मवाना/2023 दिनांक–21.08.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण दिल्ली मे दायर ओ0ए0 संख्या–595/2022 सरिता सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेशो का अनुपालन कराये जाने हेतु राजस्व टीम व वन विभाग की टीम गठित किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण दिल्ली मे दायर ओ0ए0 संख्या–595/2022 सरिता सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेशो का अनुपालन कराये जाने हेतु नायब तहसीलदार परीक्षितगढ के नेतृत्व में राजस्व टीम गठित की जाती है। और निर्देशित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण दिल्ली मे दायर ओ0ए0 संख्या–595/2022 सरिता सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेशो का अनुपालन कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करे। (1 week)

तहसीलदार
मवाना।

1– उप जिलाधिकारी मवाना महोदय को पत्र संख्या–1468/एस0 टी0–मवाना/2023 दिनांक–21.08.2023 कम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षितगढ को इस आशय के साथ प्रेषित की मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण दिल्ली के आदेशो के अनुपालन कराने हेतु आप स्वय राजस्व टीम के साथ सयुक्त रूप से मौके पर उपस्थित होकर मा0 के आदेशो को अनुपालन कराना सुनिश्चित करे।

तहसीलदार
मवाना।

आवश्यक / महत्वपूर्ण / समयबद्ध।

कार्यालय उप जिलाधिकारी मवाना।

संख्या 1468 / एस0टी0–मवाना / 2023 दिनांक 21 अगस्त, 2023

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–595 / 2022 सरिता सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 11.07.2023 के सम्बन्ध में।

तहसीलदार
मवाना।

उपर्युक्त विषयक प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ महोदय के पत्र संख्या–362 दिनांक 28–07–2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–595 / 2022 सरिता सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेशों के अनुपालन कराये जाने के सम्वम्ध में अपेक्षा की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित प्रधिकरण, नई दिल्ली के आदेशो का नियमानुसार अनुपालन कराने हेतु आपको नामित किया जाता है तथा आप प्रकरण में राजस्व टीम एवं वन विभाग की टीम के माध्यम से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

उप जिलाधिकारी
मवाना।

प्रतिलिपि–

1– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, महोदय को उनके पत्र संख्या–362 दिनांक 28–07–2023 के क्रम में सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2– क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षितगढ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3– नायब तहसीलदार परीक्षितगढ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी
मवाना।

कार्यालय, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ।
पत्रांक 363 /35–3, मेरठ, दिनांक, 28-7-2023।

सेवा में,

उप जिलाधिकारी
मवाना।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित प्रधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या 595/2022 सरिता सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 11.07.2023 के अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त विषयक क्रम में अवगत कराना हैं कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या 595/2022 सरिता सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में सुनवाई हेतु दिनांक 11.07.2023 की छायाप्रति संलग्नक कर इस आशय से प्रेषित की दिये गये आदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करे।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ।

संख्या / दिनांकित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय वन अधिकारी, परीक्षितगढ, को इस आशय से प्रेषित है कि आप उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने हेतु उप जिलाधिकारी मवाना को सहयोग कराना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ।

Item No. 06 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 595/2022

Sarita Singh Applicant

Versus

State of U.P. & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 11.07.2023

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, CHAIRPERSON**
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Applicant: Mr. Ravindra Kumar, Senior Advocate (Amicus Curiae)

Respondent: Mr. Chetan Jadon & Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon, Advocates with Mr. Rajesh Kumar, DFO Meerut
Mr. Hamid Hussain, Deputy Collector, Meerut

ORDER

1. The grievance of the applicant is illegal encroachment on the land of lake of wildlife sanctuary situated in the area of Nangla Gosai, Parikshitgadh, Tehsil Mawana, District Meerut.

2. Record reveals that in BHULEKH of 1424-1429 Fasli-Part 1-Khata Sankhya 00448, the total plot area 71.4880 hectares have been recorded as Lake (Waterbody). The report submitted by the Revenue Authority reveals certain encroachments by way of cultivation or construction of residential area.

3. The details are as under:-

क्र स०	खसरा स०	क्षेत्रफल (है० मे)	द्वारा मकान (कच्चा / पक्का)	द्वारा कृषि	शेष क्षे० (है० मे)	विशेष विवरण
1	538 मि०	0.4050 है०	------	------	0.4050 है०	मौके पर वन है
2	569मि०	39.1150 है०	1.4159 है०	13.2368 है०	24.4623 है०	------
3	571/1/1 मि०	1.9600 है०	--------	-------	1.9600 है०	------
4	572मि०	14.8840 है०	0.5341 है०	4.4219 है०	9.9280 है०	------
5	600मि०	14.0620 है०	---------	4.7400 है०	9.3220 है०	------
6	602/1	0.6320 है०	---------	---------	0.6320 है०	------
7	607/2/1	0.0250 है०	---------	---------	0.0250 है०	------
8	624/1 मि०	0.1770 है०	---------	---------	0.1770 है०	------
9	622 मि०	0.2280 है०	---------	---------	0.2280 है०	------
योग	09	71.4880 है०	1.9500 है०	22.3987 है०	47.1393 है०	------

4. On behalf of Collector, Meerut, some records have been filed with the name, address and area being encroached by the persons concerned. DFO attended the proceedings personally and submitted that the area has been notified as Hastinapur Wildlife Sanctuary on 06.02.2023. There are encroachments which has been noted by the District Authorities and inspite of noticing the encroachment on the public land and the lake, no action has been taken by the authorities to remove the encroachment. There is no identification and demarcation of the land and area has been directly or indirectly permitted by the authorities to be encroached by illegal means and illegal manner. District Authorities are directed to identify and demarcate the land and remove the encroachments within a time frame. The matter of rehabilitation is a policy matter which shall be taken by the District Authorities according to their policy or the policy of

the State or they have to frame a policy for rehabilitation in accordance with the policy of the State.

5. After hearing the representative of the Collector, DFO and the learned Counsel for the parties, we are of the view that District Authorities have to exercise on the following points:-

i. Identification and demarcation of the lake area
ii. Removal of encroachment in accordance with law
iii. Protection of the land

6. Further action taken report be taken by the joint Committee consisting:

i. Collector, Meerut
ii. DFO, Meerut
iii. One representative of Wetland Authority, Hastinapur
iv. One representative of State PCB

7. State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

8. Action taken report be submitted within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

9. List for further consideration on 03.10.2023.

Sheo Kumar Singh, CP

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

July 11, 2023
Original Application No. 595/2022
SN